



दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

कार्यालय आदेश संख्या : 98

दिनांक : 27/11/15

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक, जो कि वर्तमान में सिविल परिमण्डल-5, जनकपुरी में कार्यरत है, का वेतन आहरण एवं संवितरण का कार्य, उनकी शारीरिक विकलांगता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय लेखा इकाई/दक्षिण अंचल से केन्द्रीय लेखा इकाई (द्वारका) में स्थानांतरित किया जाता है।

यह आदेश मुख्य लेखाधिकारी की स्वीकृति से जारी किए गए हैं।


(डी.एस.नेगी) 26.11.15

वरिष्ठ लेखाधिकारी(वित्त एवं व्यय)

मिसिल संख्या:- एफ.ई.98(12)2015/दि.प्रि.प्रा./भाग/ 626

दिनांक: 27/11/15

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्यलेखाधिकारी के निजी सचिव को मुख्यलेखाधिकारी के सूचनार्थ;
2. अधिक्षण अभियन्ता, सिविल परिमण्डल-5;
3. उप-मुख्य लेखाधिकारी (द्वारका);/ दक्षिण अंचल;
4. लेखाधिकारी (केन्द्रीय लेखा इकाई) दक्षिण अंचल;
5. लेखाधिकारी (केन्द्रीय लेखा इकाई) द्वारका;
6. श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक, सिविल परिमण्डल-5;
7. गार्ड मिसिल/ निर्देश मिसिल।


वरिष्ठ लेखाधिकारी(वित्त एवं व्यय)